पूर्व मध्य रेलवे

कार्यालय

मुख्य कारखाना प्रबंधक(का.)
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर
बिहार,–848101

अधिसूचना

विषयः– यांत्रिक कारखाना कैन्टीन, /समस्तीपुर के संचालन हेतु अधिसूचना।

°°°°°

यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर के कारखाना परिसर में अवस्थित रेलवे कैन्टीन, कारखाना एवं कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आगन्तुकों के लिए परिचालित है, जिसे अब कैन्टीन कर्मचारियों के अभाव एवं काराखाना में कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से बाहरी पार्टी द्वारा अनुबंधित शर्तो के अधीन संचालित किया जाना है।

उक्त कैन्टीन के संचालन के लिए कैन्टीन संचालन के अनुभवी एवं सक्षम इकाईयों, जो रेल से इतर बाहरी पार्टी के रूप में संबोधित किए जाएंगे, से कर्मचारी कल्याण निधि समिति, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर द्वारा निर्धारित एवं जारी शर्तो के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

कैन्टीन में उपलब्ध रहने वाले संभावित खाद्य सामग्रियो का मूल्य निर्धारण हेतु अनुलग्न 'अ' पर संलग्न मूल्य तालिका में दी गई सामग्रियों के दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे का उल्लेख आवेदक द्वारा किया जाय। यह भी इस शर्त के तहत है कि ब्रांडेड आयटम को छोडकर उक्त सभी खाद्य सामग्री के अनुमाति दर में 25% से ज्यादा की दर स्वीकार्य नहीं होगा। ब्रांडेड आयटम MRP पर ही बिकी होगी।

उक्त सभी खाद्य सामग्री दर में वृद्धि के दिये गये Percentage (प्रतिशत) पर उक्त खाद्य सामग्री का दर, जिसका सबसे कम पाया जाएगा, उसका L-1 हेतु निर्धारण किया जाएगा, जोकि इस शर्त के तहत होगा कि इस प्रतिशत पर खाद्य सामग्री का अलग–अलग जो मूल्य निर्धारित होगा उस पर राउंड अप फीगर में चार्ज किया जाएगा, अर्थात् 50 पैसे से कम की राशि को मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा एवं 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को एक रूपया मानते हुए मूल्य निर्धारित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी एजेंसी द्वारा प्रस्तावित खाद्य सामग्री के मूल्य में यदि 05 प्रतिशत की वृद्धि का आवेदन दिया जाता है तो इसके आधार पर समोसा का प्रस्तावित मूल्य 06 रूपया की जगह 06 रूप्या 30 पैसा होगा। अतः इसका मूल्य राउंड फीगर में 06 रूपया ही निर्धारित होगा। उसी प्रकार यदि मूल्य 15 प्रतिशत बढ़ाया जाय तब समोसा का प्रस्तावित मूल्य 06 रूपया 90 पैसा होगा जोकि राउंड फीगर में 07 रूपया निर्धारित होगा।

1) उक्त सभी खाद्य सामग्री दर में वृद्धि के दिये गये Percentage (प्रतिशत) पर उक्त खाद्य सामग्री का दर, जिसका सबसे कम पाया जाएगा, उसका L-1 हेतु निर्धारण किया जाएगा, एक से अधिक आवेदक का L-1 एक समान पाया गया, तो इस स्थिति में उनमें केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के उपकम/राज्य सरकार के उपकम में कैंटीन चलाने का दिये गये अनुभव में जिसका अनुभव ज्यादा होगा, उसी के आधार पर एजेंसी का निर्धारण किया जाएगा, यदि अनुभव भी एक समान पाया जायेगा तो उनमें जिसका अनुभव, नवीनतम (Latest) का होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी और यदि यह भी एक समान पाया गया तो अनुभव किस संस्था का है इस पर निम्न प्राथमिकता के आधार पर L-1 का निर्धारण किया जायेगा।

i. केन्द्र सरकार के अधिन केंटिन चलाने का अनुभव
ii. राज्य सरकार के अधिन केंटिन चलाने का अनुभव
iii. केन्द्रीय सरकार के उपकम के अधिन केंटिन चलाने का अनुभव
iv. राज्य सरकार के उपकम के अधिन केंटिन चलाने का अनुभव

Scanned with OKEN Scanner

और यदि उपरोक्त भी L-1 हेतु एक समान पाया जाता है तो L-1 हेतु जिन आवेदकों के प्रस्ताव पात्र पाये जाते हैं तो उनमें L-1 का निर्धारण उम्र के आधार पर तय किया जायेगा अर्थात जिसकी उम्र ज्यादा पायी जायेगी उसका L-1 हेतु निर्धारण किया जायेगा।

2) L-1 पर अंतिम निर्णय कर्मचारी कल्याण निधि समिति, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर द्वारा लिया जाएगा।

आप अपना प्रस्ताव उक्त संलग्न प्रोफार्मा पर जोकि पुर्णरूपेण भरा हुआ हो, को मुहरबंद लिफाफे में, कार्मिक विभाग/यॉत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर, पिन कोड–848101 के नाम दिनांकः 25/06/2024 तक समय 15:00 बजे तक कार्मिक विभाग के सामने सील लगे बक्से में गिरा सकते है। इसके बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नही होगा तथा उसी दिन समय 16:00 बजे सक्षम अधिकारी द्वारा नामित सदस्यों द्वारा उक्त सील बक्से को खोला जाएगा

अधिसूचना से संबंधित नियम एवं शर्तें को संलग्न किया जाता है।

संलग्नः यथोक्त।

(चन्द्र किशोर)
सहायक कार्मिक अधिकारी/कार.
कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक/सम.

सं0ः– का/विविध/कार/कैंटीन/सम0 दिनांकः **30/05/2024**

प्रतिलिपिः

- मुख्य कारखाना प्रबंधक/समस्तीपुर महोदय को सूचनार्थ ।
- शाखा सचिव ईसीआरकेयू कार0 समस्तीपुर
- शाखा सचिव एसी0/एसटी एसोशियशन/समरतीपुर।
- संबंधित वरीय अनुभाग अभियंता /यांत्रिक कार0 सम–संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सुचना पट्ट ।

कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक/सम.

Scanned with OKEN Scanner

<u>**कारखाना कैन्टीन,समस्तीपुर के संचालन संबंधी नियम एवं शर्तें**</u>

निम्नलिखित शर्तों के अधीन कारखाना कैंटीन/समस्तीपुर का संचालन किया जाना हैः–

1. प्रथम बार अनुबंधित अवधि 1 (एक) वर्ष के लिए होगी जिसमें अवधि विस्तार सेवा–गुणवत्ता के आधार पर कर्मचारी कल्याण निधि समिति की बैठक में लिया गया निर्णय के अनुसार दिया जाएगा।

2. आवेदक के पास केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उपकम/राज्य सरकार के उपकम से कैंटीन चलाने का कम से कम 02 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है अगर एक से अधिक एजेंसी का L-1 एक समान पाया गया, तो इस स्थिति में उनमें संबंधित एजेंसी के केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उपकम/राज्य सरकार के उपकम से कैंटीन चलाने का दिये गये अनुभव में जिसका अनुभव ज्यादा होगा तो उसी के आधार पर L-1 का निर्धारण किया जायेगा और यदि यह भी एक समान पाया जाता है तो उनमें जिसकी उम्र ज्यादा पायी जायेगी उसका हेतु निर्धारण किया जायेगा। आवेदक द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान से जारी किया गया अनुभव प्रमाण–पत्र एवं जन्म तिथि के प्रमाण हेतु आवेदक को अपने आधार की स्वअभिप्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

3. शर्तों के अधीन किए गए अनुबंध को 15 दिनों की पूर्व सूचना दे कर समाप्त करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। संचालन को स्वेच्छा से संचालन छोड़ने के 06(छः) माह पूर्व सूचना देनी होगी।

4. प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क के मद में रू. 1000/– (एक हजार रूपये) मात्र निर्देशित विनिधान में जमा करना होगा जिसे संचालन प्रारंभ करने के 20 दिनों के भीतर जमा करना होगा। अगला शुल्क प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल(वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि) को जमा किया जायेगा। लाइसेंस शुल्क में परिवर्तन होने/इससे संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त होने के आधार पर शुल्क बढ़ाया घटाया जा सकता है।

5. LOA जारी होने के 01 माह के अंदर कैन्टीन संचालन हेतु सुरक्षा राशि के रूप में रू. 10,000/–(दस हजार) रूपये ड्राफट के माध्यम से संचालक द्वारा कर्मचारी कल्याण निधि/संचालन समिति के नाम निर्देशित खाते पर जमा करना होगा अन्यथा LOA रद्द किया जा सकता है। यदि संचालक द्वारा संचालन हेतु अनुमति तिथि से 03(तीन) माह के भीतर कैन्टीन संचालन का कार्य बंद किया जाता है तो जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।

6. फूड एडल्ट्रेशन एक्ट अथवा राज्य सरकार के किसी भी खाद्य आपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले मामले में उसे निष्पादित कराने की जिम्मेवारी संचालक की स्वयं होगी।

7. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा उत्पन्न किसी भी बिकी कर अथवा सेवा कर, जो भी देय हो, जमा करने की जिम्मेवारी संचालक की स्वयं होगी।

8. संचालक द्वारा खाद्य एवं पेय सामग्री तैयार करने के लिए स्वीकृत किस्म(ब्राण्डेड नाम)/मानक उत्पाद का तेल, घी, चाय, कॉफी, अमूल दूध इत्यादि का उपयोग अनिवार्य होगा।

9. संचालक कैन्टीन में ग्राहकों के मांग के अनुसार चाय, कॉफी स्टैण्र्ड क्वालिटि से बने कप/थर्मोकल अथवा मानक कप/ग्लास में आपूर्ति करेगा

10. कैन्टीन में खाद्य सामग्री में जहाँ चीनी का उपयोग होता है वहाँ चीनी के एवज में सैकरीन अथवा अन्य समान–उपयोगी वस्तु का उपयोग नहीं किया जायेगा।

11. संचालक को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ एवं ताजा खाद्य सामग्री आपूर्ति करनी होगी।

12. कैन्टीन में कार्यरत कर्मियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित न्यूनतम मजदूरी कानून एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत शासित होंगे।

13. कैन्टीन में कार्यरत् सभी कर्मियों को वर्दी एवं परिचय–पत्र जारी करना अनिवार्य होगा जिसके साथ वे प्रतिदिन प्रदर्शित स्थिति में कार्य पर रहेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

14. कैन्टीन में कार्यरत् सभी कर्मियों का पूर्ण विवरण संचालक द्वारा रेल प्रशासन को जमा करना होगा तथा किसी भी परिवर्तन की सूचना रेल प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।

15. कार्य पर लगाये जाने वाले कर्मियों को इंगेज करने के पूर्व सिविल चिकित्साधिकारी से उनका आरोग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर रेल प्रशासन को मूल रूप में जमा करना होगा एवं समय–समय पर उनकी मेडिकल जॉच रेलवे नियमों के अनुसार करानी होगी।

16. कर्मियों का मेडिकल जॉच 3 (तीन) महीने पर एक बार आवधिक रूप से कराना होगा। मेडिकल जॉच की कार्यवाही संबद्य कल्याण निरीक्षक द्वारा कराया जायेगा। जिसका खर्च संचालक द्वारा वहन किया जायेगा। इसमें विशेषतः संक्रामक बीमारी (टी .बी. इत्यादि) से ग्रसित नहीं होने का प्रमाण–पत्र प्रत्येक 3 (तीन) महीने पर प्राप्त कर जमा करना अनिवार्य होगा।

17. कैन्टीन में कार्यरत कर्मियों के लिए मानक इस प्रकार निर्धारित हैः–

1) प्रतिदिन स्वच्छ पोशाक पहनना अनिवार्य है।
2) शारीरिक रूप से स्वच्छता मेन्टेन होने चाहिए।
3) सिर पर जालीदार टोपी से बाल ढ़के होने चाहिए।
4) पान, गुटखा इत्यादि का प्रयोग सख्त रूप से मना है।
5) परिचय पत्र (जो संचालक एवं कैन्टीन से सम्बध कल्याण निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होगा) प्रदर्शित स्थिति में गले में रहेगा।

18. उपभोक्ताओं द्वारा की गई विधिक परिवाद की स्थिति में कैन्टीन संचालक एजेंसी क्षतिपूर्ति देने को बाध्य होगी।

19. रेल प्रशासन एवं कैन्टीन कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा क्रमशः भवन, विद्युत, जल, एवं सभी प्रकार के उपस्कर इत्यादि की सुविधा संचालन एजेंसी को प्रदान की जाएगी।

20. उपयोग किए जाने वाले बर्तन, कॉकरी, फर्नीचर, फ्रीज, माइक्रोबेव, कीटरोधी यंत्र इत्यादि सामान (जो कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा आपूर्ति किए जाएँगे) की पावती रू 100/– के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पेपर पर संचालक एजेंसी द्वारा दी जाएगी।

21. आपूर्ति किए गए सभी सामग्रियों की सुरक्षा (गारंटी/वारंटी अवधि में) आपूर्तिकर्ता एजेंसी से मेन्टेनेंस कराने के जिम्मेवारी संचालक की होगी। सामग्रियों के क्षतिग्रस्त(टूट–फूट) होने पर क्षतिपूर्ति राशि रेल प्रशासन के निर्देशानुसार संचालक को कर्मचारी कल्याण निधि में जमा करना होगा। गायब होने की स्थिति में वास्तविक मूल्य देना होगा।

22. रसोई गृह में केवल कॉमर्शियल गैस कनेक्शन एवं सिलेन्डर प्रयोग करना अनिवार्य होगा। गैस कनेक्शन रेल प्रशासन की पहल पर संचालक को वितरक से दिलवाया जाएगा जिस पर व्यय एवं आगे गैस मूल्य संचालक को वहन करना होगा।

23. कैन्टीन में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का मूल्य निर्धारण तथा उनकी गुणवत्ता एवं मूल्य की समीक्षा करने का अधिकार केवल कर्मचारी कल्याण निधि समिति के पास सुरक्षित रहेगा। संचालक एजेंसी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मात्रा का ध्यान रखेगी जो किसी अवस्था में बाजार मूल्य संचालक को वहन करना होगा।

24. यॉंत्रिक कारखाना में आयोजित समारोह एवं बैठकों अथवा पी.एन.एम.इत्यादि के दौरान लंच/नाश्ता की व्यवस्था संचालक एजेंसी को करना होगा जिसका भुगतान रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।

25. कैन्टीन के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नही किया जाएगा। जॉचोउपरांत गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संचालक पर उचित आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा।

26. खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति कूपन के माध्यम से की जाएगी, जो सामग्री आपूर्ति के पूर्व जारी करना होगा। कूपन का प्रबंध संचालक द्वारा किया जाएगा जिस पर होने वाला व्यय संचालक स्वंय वहन करेगा। आपूर्ति किए जाने वाले समान की कीमत वसूली की जिम्मेदारी भी स्वंय संचालक की होगी। देय किसी भी राशि की वसूली के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

27. शर्तों में संशोधन/नया जारी करने का अधिकार कर्मचारी कल्याण निधि समिति के पास अंतिम रूप से सुरक्षित रहेगा।

Scanned with OKEN Scanner

मूल्य तालिका

यांत्रिक कारखाना/सम0 मे स्थित कारखना कैन्टीन हेतु खाद्य सामग्रियों की प्रस्तावित मूल्य तालिकाः–

क्र0सं0	सामग्री	प्रस्तावित दर
01	पूड़ी–4, जलेबी–1 , सब्जी(100 ग्राम)	20/–
02	खास्ता कचौरी (प्रति पीस 60 ग्राम)	06/–
03	स्मोसा (प्रति पीस 60 ग्राम)	06/–
04	आलू चप	06/–
05	रसगुल्ला (प्रति पीस 40 ग्राम)	07/–
06	काला जामुन (प्रति पीस 40 ग्राम)	07/–
07	चाय (दूध के साथ प्रति कप)	05/–
08	नींबू चाय	04/–
09	थाली –सादा खाना (शाकाहारी प्रति प्लेट 400 ग्राम) 1. (एक प्लेट चावल, दाल, सब्जी, भूजिया, पापड एवं सलाद।) या 2. (रोटी– 03 पीस, हाफ प्लेट चावल, सब्जी, दाल , भूजिया, पापड एवं सलाद)	40/–
10	लड्डू	05/–
11	रोटी प्रति पीस	04/–
12	एक प्लेट चावल मात्र	20/–
13	हाफ प्लेट चावल	10/–
14	एक प्लेट चावल एवं दो पीस चिकेन या दो पीस मछली	60/–

प्रस्ताव

उक्त मूल्य तालिका में दी गई प्रस्तावित दर पर बढ़ाई गई प्रतिशत का विवरण
––––––––––––%

नोटः– उक्त प्रस्ताव में विवरण दिया जाना आवश्यक है यदि प्रस्तावित दर में कोई वृद्धि नहीं की जानी है तो नील का प्रस्ताव होना चाहिए अन्यथा बढ़ाई गई प्रतिशत का विवरण दिया जाय।

यह घोषणा किया जाता है कि संबंधित अधिसूचना के अंतर्गत यॉत्रिक कारखाना कैन्टीन/सम0 के संचालन संबंधी नियम एवं शर्ते पढ़ कर समझ ली गई है, एवं अनुभव प्रमाणपत्र तथा आधार की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जा रही है।

संलग्नः– (1) अनुभव प्रमाण–पत्र
(2) आधार की प्रति

(हस्ताक्षर)

आवेदक का नामः–
जन्म तिथिः–
आधार संख्याः–
फर्म का नामः–
पता सहितः–
दिनांकः–

Scanned with OKEN Scanner

वर्णित शर्तो के उल्लंघन पर निम्न प्रकार दंड का प्रावधान है:–

(01) सामग्रियों के माप के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने पर प्रति शिकायत(प्रमाणित होने)रू 200/– मात्र ।
(02) कार्यरत कर्मियों के कार्य अवधि में साफ–सफाई न रखने पर (दाँत, बाल, नाखून, वर्दी एवं सेविंग, पान गुटखा सेवन इत्यादि के लिए) प्रत्येक मद में रू 200/– मात्र।
(03) बिना कूपन के सामान बिकी पर प्रति बार (प्रमाणित होने)रू 200/– मात्र ।
(04) रसोई गृह के अंदर साफ–सफाई नहीं होने पर प्रति निरिक्षण रू 500/– मात्र ।
(05) खाद्य समाग्रियॉ खुली अवस्था में पाए जाने पर रू 500/– मात्र ।
(06) आपूर्ति किए गए सामान(गारंटी/वारंटी अवधि में है) का मेंटेनेंस आपूर्तिकर्ता से नही कराने पर रू 500/– मात्र।

(07) बासी/कच्ची सब्जी/खराब भोजन/खाद्य पदार्थ पाए जाने पर रू 500/– मात्र।
(08) व्यावसायिक रसोई गैस की जगह पर घरेलू रसोई गैस के इस्तेमाल करते पाए जाने पर रू 500/ मात्र।
(09) रसोई गैस की जगह पर कोयला/लकड़ी इत्यादि का ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने पर रू 500/– मात्र।
(10) बिजली हीटर उपयोग पर रू 500/– मात्र।
(11) आपूर्ति किए गए कुर्सी/टेबुल अथवा अन्य उपस्कर बर्तन आदि क्षतिग्रस्त होने पर निरिक्षण अधिकारी द्वारा तत्काल आकलित राशि एवं गुम होने पर वास्तविक मूल्य।
(12) उपर्युक्त वर्णित के अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारी द्वारा मौके पर आकलित अनुशासनहीनता अथवा अन्य क्षति के मामले में विवेकानुसार आदेशित दण्ड।

आर्थिक दण्ड राशि 10 कार्यदिवसों में जमा नहीं करने पर संचालक द्वारा जमा सुरक्षा राशि से समायोजित कर ली जाएगी। सुरक्षा राशि किसी भी अवस्था में निर्धारित राशि रू 10,000/–(दस हजार रूपये) से कम नहीं होगी। इसे दण्ड में समायोजन करने के एक सप्ताह के अंदर सुरक्षा राशि मानदंड के अनुरूप पूरा करना आवश्यक है अन्यथा इसके लिए समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार अतिरिक्त दण्ड से अधिरोपित किया जाएगा।

(चन्द्र किशोर)
सहायक कार्मिक अधिकारी/कार.
कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक/सम.

Scanned with OKEN Scanner